संविदा अनुभाग
भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर, बरेली – 243122 (उ0 प्र0)
Contract Section
INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
IZATNAGAR, BAREILLY – 243122 (UP).
FAX NO.0581-2303284 Phone No.0581-2310261/2310195

पत्रांक: 1–2 / 2016–17 / संविदा दिनाक: 15.09.2017

परिपत्र

श्रम कानूनों एवं ठेके के नियम व शर्तों के अनुसार प्रत्येक संविदा कर्मी को प्रत्येक माह की 07 तारीख या उससे पहले पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना अति आवश्यक है। प्रायः यह देखा गया है कि संविदा श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक निर्धारित तिथि तक नहीं किया जा रहा है। ठेकेदारों से विलम्ब से भुगतान के बावत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ नोडल अधिकारियों द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति, कार्य संतोषजनक रिपोर्ट एवं ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 जमा करने की सत्यापित रिपोर्ट समय पर सत्यापित न किये जाने के कारण श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब होता है।

संविदा श्रमिकों को पारिश्रमिक समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व प्रधान नियोक्ता पर होता है।

अतः सभी विभागाध्यक्षों / प्रभारियों तथा नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वह संविदा श्रमिकों की उपस्थिति / कार्य संतोषजनक करने तथा ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 अंशदान जमा करने का **प्रमाण माह के पूर्ण होने के बाद 04 कार्य दिवसों** के अन्तगर्त करना सुनिश्चित करें ताकि संविदा श्रमिकों को उनका मासिक पारिश्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर किया जा सके।

यदि विभागाध्यक्ष / नोडल अधिकारी सरकारी दौरे या अवकाश पर होते हैं, तो सत्यापन की रिपोर्ट कार्यवाहक विभागाध्यक्ष / प्रभारी या वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाये। यदि फिर भी सत्यापन रिपोर्ट के कारण संविदा श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उनके अधीन संविदा बिन्दुओं का मासिक पारिश्रमिक का भुगतान समय पर होना संभव नहीं होगा, जिसके लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / प्रभारी तथा नोडल अधिकारी को जिम्मेदार माना जायेगा।

(राकेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

वितरण:–

1. सभी संयुक्त निदेशकों, विभागाध्यक्षों, प्रभारियों तथा नोडल अधिकारियों, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कैम्प कार्यालय मैसर्स ओरियण्टल इण्टिग्रेड फैसेलिटी मैनेजमेंट, प्रा0 लि0, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।
3. प्रभारी, ऐरिस सैल को संस्थान की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड।